क्रमांक 5700–2 जी0एस0–1–73/27522

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 16 नवम्बर, 1973 ।

विषय : तदर्थ आधार पर की गई सेवा को बतौर तजुर्बा के पदोन्नति के समय गिने जाने के बारे में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपको संबोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समय संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 8398–एफ0आर0–56/6156, दिनांक 14–9–56 तथा 1028–जी–11–27804, दिनांक 29–3–1957 में जारी की गई हिदायतों के अनुसार तदर्थ सेवा का लाभ कर्मचारियों को वार्षिक वेतन-वृद्धि तथा छुट्टी की ओर दिया जाता है और वरिष्ठता की ओर नहीं दिया जाता । इस बारे में अब यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या तदर्थ आधार पर की गई सेवा का लाभ बतौर तजुर्बा के पदोन्नति की ओर दिया जा सकता है या नहीं । इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि तदर्थ आधार पर की गई सेवा को पदोन्नति के लिए तजुर्बे के तौर पर नहीं गिना जा सकता ।

भवदीय,

हस्ता0/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।